लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाष 91–0755–2583650–फेक्स–2583651

क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/1704 — भोपाल, दिनांक : 28/05/18

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :– विगत चार वर्षो से मान्यता नवीनीकरण नही कराए जाने वाले विद्यालयों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/23/पीए/ भोपाल दिनांक 22.01.2018.

— 0 —

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिन विद्यालयों के द्वारा वर्ष 2015–16 /2016–17/2017–18/2018–19/ से मान्यता नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है वे विद्यालय संचालन के इच्छुक नहीं है अथवा अनाधिकृत रूप से विद्यालय अवैध संचालित कर रहे है। अतः मान्यता समिति की बैठक दिनांक 24.03.2018 में निर्णय दिया गया है कि ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाकर संस्था की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपने जिले में अनाधिकृत रूप से संचालित अशासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की सूची बनाकर उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराएं तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को एक सप्ताह में अवगत कराएं।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/1705 — भोपाल, दिनांक : 28/05/18

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. श्री निखिल कुमार, एजुकेशन कंसल्टेंट, एम.पी. ऑनलाईन, डी.बी. मॉल भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश